न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(99)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/झाबुआ/भू.रा./2017/2504 विरूद्ध आदेश दिनांक 11-05-2017 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ, प्रकरण क्रमांक 3/अपील/2016-17

निर्मल कुमार पिता चम्पालाल मोदी
निवासी 26, सुभाष मार्ग, झाबुआ .....आवेदक

विरूद्ध

1. सुनील पिता स्व. विमलचंद मोदी
2. जितेन्द्र पिता स्व. विमलचंद मोदी
   निवासीगण सुभाष मार्ग, झाबुआ .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ द्वारा पारित दिनांक 11-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, झाबुआ द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/अ-5/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15-12-2015 के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर, झाबुआ के समक्ष दिनांक 08-11-2016 को विलंब से प्रस्तुत की गई, साथ ही विलंब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण अपर कलेक्टर, झाबुआ को निराकरण हेतु अंतरित किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अपील/2016-17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का जवाब एवं अन्य

दस्तावेज प्रस्तुत किये गये । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 11-05-2017 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के निराकरण हेतु सहायक नहीं होना मानते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का विस्तृत जवाब मय दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत किया गया था, जिसका परिशीलन किये बिना आदेश पारित करने में अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी प्रारंभ से थी, फिर भी उनके द्वारा गलत आधार, कि अनावेदक क्रमांक2 अपंग होकर उसे मिर्गी के दौरे पड़ने का उल्लेख करते हुए समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि समय बाह्य अपील में न्यायालय को परिसीमा के प्रश्न का सकारण आदेश पारित कर विनिश्चय करना अनिवार्य है, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा विलंब क्षमा करने के संबंध में कोई कारण नहीं दर्शाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा जानकारी का स्त्रोत नहीं दर्शाया गया है और न ही प्रत्येक दिन के विलंब का कारण दर्शाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि विलंब के संबंध में जो कारण दर्शाये गये हैं, वह समाधान कारक नहीं हैं । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 2002 आर.एन. 254 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा वसीयतनामा दिनांक 11-03-68 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण चाहा गया था, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में उक्त वसीयतनामा के आधार पर निर्मल पिता चम्पालाल का नामांतरण आधे हिस्से पर किया गया है । यह भी कहा गया कि अवैधानिक आदेश को चुनौती देने के लिए समय-सीमा का कोई बंधन नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । अत: अपर कलेक्टर द्वारा विलंब क्षमा करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अपर कलेक्टर द्वारा अभी प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण किया

जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध हो । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी (नजूल) के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है, अत: अनुविभागीय अधिकारी (नजूल) के आदेश की जानकारी आवेदक को नहीं होना स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार अपील ग्राह्य करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में 1993 आर.एन. 183 किशनलाल तथा अन्य विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी म.प्र.तथा अन्य मे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> ''परिसीमा-आरंभ होने का बिंदु-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया-वाक्य ''आदेश की तारीख''-अर्थ-''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।
> ''शब्द तथा वाक्य- ''वाक्य'' आदेश की तारीख''-अर्थ-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया-''वाक्य-''आदेश की तारीख'' का ''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।''
> माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अपर कलेक्टरद्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-05-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर